कार्यवृत्त

मंगलवार, 23 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 13 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वे 7 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नांकित स्वीकृत सूचनायें उनके सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीः–

1.	श्री राजकुमार ठुकराल (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद ऊधमसिंह नगर में जिला मुख्यालय में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
2.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी (पढ़ी हुई मानी गई)	चम्पावत विधान सभा के राजकीय चिकित्सालय, टनकपुर में ट्रामा सेंटर शुरू न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
3.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल (पढ़ी हुई मानी गई)	विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पिण्डारी रोड पर कुमाऊ मण्डल विकास निगम द्वारा निर्मित विश्राम गृह एवं हट्स का व्यवसायिक रूप से संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री खजान दास (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद देहरादून के अन्तर्गत दिलाराम बाजार में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में।
5.	श्री मुकेश सिंह कोली (पढ़ी हुई मानी गई)	विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पौड़ी–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर पालीखाल चुर्थ–रामकुण्ड मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण के सम्बन्ध में।
6.	डा0 प्रेम सिंह राणा (पढ़ी हुई मानी गई)	विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम रनसाली, तहसील सितारगंज स्थित भूमि को राजस्व भूमि का दर्जा न मिलने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में स्थित इण्टरमीडिएट कालेज श्री नवजीवन आश्रम घुत्तू के विज्ञापित पदों पर साक्षात्कार न होने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल ग्राम गंवाणा मल्ला, पो0–घुत्तू भिलंग, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज ठेला नैलचामी के भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में'' श्री आनन्द बिष्ट, ग्राम–पुण्डोली, पो0–मल्लाकोट, पट्टी नैलचामी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा ''टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत ग्राम जखन्याली के नौताड़ नामे तोक में दिनांक 31–07–2014 को आई दैवीय आपदा में लापता स्व० राजेश नौटियाल के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में'' श्री आनन्द सिंह बिष्ट, ग्राम–पुण्डोली नैलचामी पो0–मल्ला, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के कौसानी स्थित बन्द चाय फैक्ट्री को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जगदीश सिंह भण्डारी एवं अन्य 05, ग्राम व पोस्ट कौसानी, जनपद बागेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ के ग्राम घिरतोली की एक हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव सिंह बिष्ट, ग्राम भगरतोला पोस्ट हनेनाई, जनपद बागेश्वर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)'' की धारा–10 (1)(g) के अन्तर्गत उपबन्धित व्यवस्थानुसार विधान सभा के 02 मा0 सदस्यों को यह सदन गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर की प्रबन्ध परिषद् में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका समाज में उच्च नैतिक आदर्शों की स्थापना एवं उनके अनुपालन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सदन तथा इसके मा0 सदस्यों की सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानकों के एक स्तर को बढ़ाने तथा विधानसभा की गरिमा और आदर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आचार समिति का गठन किया जाना एक अविलम्बनीय समसामयिक आवश्यकता है। राज्यसभा में वर्ष 1997 में आचार समिति का गठन किया गया था। लोकसभा में वर्ष 2000 में तदर्थ रूप से आचार मंडल तथा वर्ष 2015 में आचार समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त देश के अन्य विधानमंडलों में भी आचार समितियों का गठन किया गया है, एवं कतिपय विधानमंडलों में इसके गठन पर विचार किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन तथा उसके बाहर मा0 विधान सभा सदस्यों के आचरण तथा आनुषंगिक विषयों पर विचार मंथन करने, सुझाव देने, अनुश्रवण करने तथा संगत विषयों पर विधान सभा की एक सात सदस्यीय आचार समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन एवं इसके सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्यमंत्री ने विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधायें तथा आनुषंगिक विषयों पर विचार करने के लिये विधान सभा की एक सात सदस्यीय समिति गठित कर दी जाय जो उपरोक्त विषयों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां विधान सभा को उपलब्ध करायेगी। समिति में सदस्यों का नामांकन किये जाने हेतु यह सदन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 21 वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव जाति ने विकास के नित नए सोपान तय किये हैं। इसके अनुप्रयोग से दैनिक जीवन से जुड़े प्रत्येक पक्ष में कार्यसंस्कृति, सामाजिक विमर्श, शासन एवं प्रशासन तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक सन्दर्भ में आमूल परिवर्तन हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के सर्वप्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का मैन्डेट सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना के अधिकतम दोहन के माध्यम से देश को एक डिजिटली सशक्त समाज एवं नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। उत्तराखण्ड में भी वृहद स्तर पर ई–गवर्नेस के उद्देश्य से शासन के सभी विभागों, निदेशालयों तथा प्रशासन के सभी कार्यलयों, जन–सेवाओं, शैक्षिक तथा प्रशैक्षणिक संस्थाओं आदि मे सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इस परिदृष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम प्रयोग से श्रेष्ठतम् शासन सुनिश्चित करने हेतु ''मिनिमम गवर्नमेंन्ट–मैक्सिमम गवर्नेंस'' को मूर्त रूप देने हेतु प्रस्तावित है कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण, नई सम्भावनाओं पर नीति विषयक विमर्श एवं आनुषंगिक विषयो पर विधान सभा की एक सात सदस्यीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन एवं इसके सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 09 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से 05 सूचनायें स्वीकार कर रहे है।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को लम्बे समय से छात्रवृत्ति न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य में जगह–जगह ट्रैफिक जाम की समस्या के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम राजपुर, पुरनपुर, नादेही स्थित चीनी मिल के लिये जमीन देने वाले कृषकों को प्राविधानित रोजगार न उपलब्ध होने सम्बन्धी नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने नियम–58 की सूचना पर अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

स्व0 बर्फियालाल जुवांठा, राजकीय महाविद्यालय, पुरोला, जनपद उत्तरकाशी को स्नातकोत्तर स्तर तक उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजकुमार ने नियम–58 की सूचना पर विचार व्यक्त किये। उच्च शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर चर्चा श्री फुरकान अहमद के भाषण से प्रारम्भ हुई। चर्चा में निम्न मा0 सदस्यों ने भी भाग लिया–

1. श्री संजीव आर्य

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 35 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर चर्चा श्री महेश सिंह नेगी के भाषण से पुनः आरम्भ हुई। निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में विचार व्यक्त किये:–

1. श्री राम सिंह कैड़ा
2. श्री सुरेश राठौर
3. श्री काजी मौ0 निजामुद्दीन
4. श्री मुकेश सिंह कोली

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य अपना भाषण लिखित में भी दे सकते है। वह कार्यवाही में समाहित कर लिया जायेगा।

5. श्री देशराज कर्णवाल
6. श्री प्रदीप बत्रा
7. श्री भरत सिंह चौधरी
8. श्रीमती मीना गंगोला
9. श्री संजय गुप्ता
10. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
12. श्री बंशीधर भगत

13. श्री जॉर्ज आईवान ग्रेगरी मैन

14. श्री हरभजन सिंह चीमा

15. श्री यतीश्वरानन्द

16. श्री मुन्ना सिंह चौहान

निम्न मा0 सदस्यों ने अपना भाषण लिखित रूप में दियाः–

1. श्री गोपाल सिंह रावत
2. श्री देशराज कर्णवाल
3. श्री प्रदीप बत्रा
4. श्री मगन लाल शाह
5. श्री दीवान सिंह बिष्ट
6. श्री विजय सिंह पंवार

आय–व्ययक पर नेता सदन का भाषण हुआ।

वित्त मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान–

शहरी विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 337808 हजार (रूपये तैतीस करोड़ अठहत्तर लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–05 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 42287970 हजार (रूपये चार हजार दो सौ अठ्ठाईस करोड़ उन्यासी लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा संसदीय कार्यमंत्री द्वारा अनुदान संख्या–07 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 119927 हजार (रूपये ग्यारह करोड निन्यानवे लाख सत्ताईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–08 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

आबकारी मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा आबकारी मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–08 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 243790 हजार (रूपये चौबीस करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

सहकारिता मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा आबकारी मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–18 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 4442339 हजार (रूपये चार सौ चवालीस करोड़ तेईस लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

काजी निजामुद्दीन ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने चर्चा पर अपने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान

06 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

2. श्री हरीश सिंह धामी

सिचाई मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त काजी निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा सिचाई मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–20 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 729624 हजार (रूपये बहत्तर करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मनोज रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

श्री हरीश सिंह धामी ने भी विचार व्यक्त किये।

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा पर्यटन मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–26 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1676092 हजार (रूपये एक सौ सड़सठ करोड़ साठ लाख बयानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री हरीश सिंह धामी
2. श्री काजी निजामुद्दीन
3. श्री आदेश सिंह चौहान
4. श्री मनोज रावत
5. श्री मगन लाल शाह

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा कृषि मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–29 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 37081097 हजार (रूपये तीन हजार सात सौ आठ करोड़ दस लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री हरीश सिंह धामी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री देशराज कर्णवाल
2. काजी निजामुद्दीन
3. श्री मुन्ना सिंह चौहान

08 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री हरीश सिंह धामी ने कहा कि वे मा0 मंत्री जी की भावनाओं को देखते हुए उन पर विश्वास करते हुए कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे है। अतः श्री धामी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव वापस हुआ और शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–11 के अधीन मांगी गयी धनराशि सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3818902 हजार (रूपये तीन सौ इक्यासी करोड़ नवासी लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री हरीश सिंह धामी

2. श्री काजी निजामुद्दीन

3. श्री मनोज रावत

4. श्री आदेश सिंह चौहान

वन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा वन मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–27 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम– 53 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से–

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचना जो, विधान सभा क्षेत्र भीमताल के धारी–कौल–धानाचूली मोटर मार्ग के निर्माण करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये एवं

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो, विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में लागू किये गये स्थानीय विकास प्राधिकरण को निरस्त जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे है।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड (कूड़ाघर) निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को दी गई सूचना पर शहरी विकास मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

हरिद्वार ग्रामीण में स्थित ''पुरानी हरिद्वारी'' नामक सड़क मार्ग कांगड़ी, गाजीवाली, श्यामपुर सजनपुर पीली, पर्वतीय कालोनी से होकर कुंडी सोटा तक जाने वाले सड़क मार्ग के पुनः निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री यतीश्वरानन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को दी गई सूचना पर माननीय मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

10:00 बजे सदन की कार्यवाही अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।